



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
डी-4/ई-1/2025
दिनांक 25.09.2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 25.09.2025

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि: 27.10.2025

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: 03.11.2025

अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि

और समय: 10.11.2025 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर लें।
(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

- नोट— (1) अभ्यर्थीगण ऑन—लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन—लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन—लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व—प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि के सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों—हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(2) आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पर्वी को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(3) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु अलग—अलग लिफाफे में अपने आवेदन—पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें, अन्यथा उक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(4) एक ही प्रकार के पद की स्थिति में एक लिफाफे में अभ्यर्थी एक ही आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें। एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि एक ही लिफाफे में प्रेषित करने पर उक्त आवेदन—पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(5) यदि अभ्यर्थी द्वारा autofilled पता पर्वी (Address Slip) लिफाफे पर चस्पा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

विशेष सूचना :— (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन—लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन—लाइन आवेदन ही करें।

ऑन—लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:—

आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर “ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन—लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

‘ऑन—लाइन आवेदन’ करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :—

प्रथम चरण :— 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :—

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई—मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:— a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:—

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction

Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट प्रिन्टर आइकन पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।
नोट:— ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

वृत्तु चरण:— तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

- (1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।
(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
(9) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2— आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :—

- | | |
|--|---|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग | — आवेदन शुल्क रु 80/- ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 105/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति | — आवेदन शुल्क रु0 40/- ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 65/- |
| (iii) दिव्यांग श्रेणी | — आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 25/- |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक | — आवेदन शुल्क रु0 40/- ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 65/- |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी | — अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |

संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

विभाग संख्या—सेवा— 03/05, **पद का नाम—** क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, **रिक्तियों की संख्या—** 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:— लम्बवत् आरक्षण 01 अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं। **पद का स्वरूप—** समूह 'ख' (राजपत्रित), **वेतनमान—** वेतन मैट्रिक्स लेवल—08 (रूपये 47,600—1,51,100), **आयु सीमा—** 30 से 45 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है), **शैक्षिक अर्हतायें:—** अनिवार्य अर्हतायें: (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मध्यकालीन भारतीय इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम पचास प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ख)— राष्ट्रीय अभिलेखागार से अभिलेखागार अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा। ग)— किसी राज्य अभिलेखागार में ऐतिहासिक शोध में पांच वर्ष का अनुभव। घ)— किसी राज्य या केन्द्रीय सरकारी अभिलेखागार में तकनीकी सहायक (तृतीय वर्ग) के रूप में पांच वर्ष का कार्यकारी अनुभव। **समकक्ष अर्हता:—** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इतिहास या मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास (एम.आई.एच.) में कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। **अधिमानी अर्हताएँ:—** 1. हिन्दी का अच्छा ज्ञान एक अधिमानी अर्हता होगी। 2. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा कर चुका हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त कर चुका हो।

नोट:— अनुभव के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0— 527/चार 2025—1859452 दिनांक 06.02.2025 के अनुसार

1. अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप— अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप में संस्था का नाम/अभ्यर्थी का नाम/पद नाम/संस्था में कार्य करने की अवधि/कार्य की प्रकृति एवं दायित्व/अभ्यर्थी का प्रदर्शन/उपलब्धियाँ/प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि/सक्षम प्राधिकारी का नाम/समुहर हस्ताक्षर का स्पष्ट उल्लेख हो।

2. अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी :-

क्रम संख्या	कार्यालय/संस्था	अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	शासकीय (केन्द्र/राज्य)	विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2	विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अभिलेखागार/पुरातत्व/संग्रहालय	संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष

नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की केवल ओ.ए. उपश्रेणी चिन्हांकित है।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ0प्र0 राज्य अभिलेखागार सेवा नियमावली, 1996 (यथा संशोधित)

परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0

विभाग संख्या—सेवा— 04/01, पद का नाम—शोध अधिकारी, रिक्तियों की संख्या— 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:— लम्बवत् आरक्षण 01 अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं। पद का स्वरूप— समूह 'ख' (सांख्यिकीय संवर्ग) (राजपत्रित), वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—09 (वेतनमान (न्यूनतम) 53,100— (अधिकतम) 1,67,800), आयु सीमा— 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है) शैक्षिक अर्हतायें:— अनिवार्य अर्हतायें: (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। समकक्ष अर्हता:— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यवहारिक अर्थशास्त्र/डेटा साइंस/व्यवहारिक सांख्यिकीय/ए.आई. एवं एम.एल. (आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस एण्ड मशीन लर्निंग) में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

अधिमानी अर्हतायें:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :- 1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ0प्र0 सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

विभाग संख्या—सेवा— 07/01, पद का नाम—रसायनज्ञ, रिक्तियों की संख्या— 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:— लम्बवत् आरक्षण 01 अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं। पद का स्वरूप— समूह 'ख' (राजपत्रित), वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—10 (वेतनमान (न्यूनतम) 56,100— (अधिकतम) 1,77,500), आयु सीमा— 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है), शैक्षिक अर्हतायें:— अनिवार्य अर्हतायें: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंको सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। समकक्ष अर्हता:— Master of Science or Integrated Master of Science in Chemistry or Applied Chemistry or Analytical Chemistry or Physical Chemistry or Inorganic Chemistry or Organic Chemistry or Hydro-Chemistry or Industrial Chemistry with a minimum of 60% marks from a University incorporated by an Act of Parliament or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of the Parliament or declared to be deemed Universities under section-3 of the University Grants Commission Act, 1956, i.e. recognised University.) अधिमानी अर्हतायें :- 1. भू-रसायन के सर्वेक्षण या अन्वेषण का दो वर्ष का अनुभव। 2. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने— क. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या ख. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एच.एच., ओ.ए. एवं ओ.एल. उपश्रेणीयां चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ0प्र0 भूगर्भ जल (अभियंता और वैज्ञानिक) सेवा नियमावली, 1999 (यथा संशोधित)

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

विभाग संख्या—सेवा— 07/02, पद का नाम— सहायक भू-भौतिकीविद, रिक्तियों की संख्या— 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:— लम्बवत् आरक्षण 01 अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं। पद का स्वरूप— समूह 'ख' (राजपत्रित) वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—10 (वेतनमान (न्यूनतम) 56,100— (अधिकतम) 1,77,500), आयु सीमा— 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है), शैक्षिक अर्हतायें:— अनिवार्य अर्हतायें: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंको सहित भू-भौतिकी/भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। समकक्ष अर्हता:— Master's degree in Applied Geophysics/M.Tech. (Exploration Geoscience)/M.Tech. (Geophysical Technology)/M.Sc. (Applied Geology)/M.Tech. (Geological Technology)/M.Tech. (Geophysical Technology)/M.Sc. (Exploration Geophysics) with a minimum of 60% marks from a University incorporated by an Act of Parliament or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of the Parliament or declared to be deemed Universities under section-3 of the University Grants Commission Act, 1956, i.e. recognised University.) अधिमानी अर्हतायें:— 1 (एक) 60% अंको सहित भूगर्भ भू-जल (ग्राउन्ड वाटर हाइड्रोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (दो) भू-गर्भ जल अन्वेषण और समन्वेषण में दो वर्ष का अनुभव। 2 अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने— क. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या ख. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल.वी., एच.एच., ओ.ए. एवं ओ.एल. उपश्रेणियां चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ0प्र0 भूगर्भ जल (अभियंता और वैज्ञानिक) सेवा नियमावली, 1999 (यथा संशोधित)

उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग

पद का नाम— प्रोफेसर (आचार्य), रिक्तियों की संख्या— 12

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:-

क्र0सं0	प्रोफेसर(आचार्य) (स्पेशलिस्ट)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	कुल पद—04, लम्बवत् आरक्षण—03—अनारक्षित, 01—अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं।	सेवा—09/01
2	स्वास्थ्यवृत्त	कुल पद—04, लम्बवत् आरक्षण—03—अनारक्षित, 01—अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं।	सेवा—09/02
3	काय चिकित्सा	कुल पद—03, लम्बवत् आरक्षण—03—अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं।	सेवा—09/03
4	शालाक्य तंत्र	कुल पद—01, लम्बवत् आरक्षण—01—अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण—कोई नहीं।	सेवा—09/04

पद का स्वरूप— समूह—'क', राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—12 (रु 078800—209200), आयु सीमा— न्यूनतम 30 वर्ष, उच्चतम 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।), शैक्षिक अर्हताएँ :-**(अ) अनिवार्य अर्हतायें**— (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) संबंधित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **(ब) अधिमानी**:—1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नाकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **(स) अधिमानी अर्हताएँ**:— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट:— 1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेद) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। 2. अनुभव

महामात्र-पत्र का प्रारूप

संस्था का नाम.....

पता-----

फोन नं०- /वेबसाईट.....

पत्रांक-----

दिनांक-----

प्रशासनिक अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नामपिता का नाम.....

विषय.....का सेवा विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	वेतनमान	अभ्युक्ति

(प्रतिहस्ताक्षरित / प्रमाणित)

(जारी करने वाले के हस्ताक्षर)

नोट:- प्रश्नगत पदों हेतु दिव्यांगजन की ओ.ए., ओ.एल., एल.सी., डी.डब्ल्यू. एवं ए.ए.वी. उपश्रेणी ही चिन्हांकित हैं ।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज

विभाग संख्या-सेवा- 10 / 02, पद का नाम-सिस्टम एनालिस्ट, रिक्तियों की संख्या- 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण 01 अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण-कोई नहीं। पद का स्वरूप- समूह 'क' (राजपत्रित), वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (ग्रेड-पे: 6600, वेतनमान (न्यूनतम) 15,600- (अधिकतम) 39,100), आयु सीमा- 30 से 45 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है), शैक्षिक अर्हतायें:- अनिवार्य अर्हतायें: 1. एम.ई. / एम. टेक. (कम्प्यूटर विज्ञान), डी.ओ.ई. से "सी" स्तरीय प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त संस्था / विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी.ई. / बी.टेक.(कम्प्यूटर विज्ञान) और 05 वर्ष की नियमित सेवा, या मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. / एम.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) और 03 वर्ष का अनुभव। 2. ओरेकल / इन्ग्रेस / साईबेस, डी.बी. / 2 आदि और सी / सी फाक्सप्रो, आर.डी.बी.एम.एस. में साफ्टवेयर डेवलपमेंट में पूर्ण ज्ञान, डास / युनिक्स / विण्डोबेस एक्टिव इन्चायरमेंट में उपकरणों का उपयोग, नेटवर्किंग इन्चायरमेंट यथा नावेल एवं विन्डोज एन.टी. का ज्ञान। वेब इनबिल्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट तथा इन्टरनेट का पूर्ण ज्ञान। अधिमानी अर्हतायें :- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ०प्र० लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा विनियमावली, 2009

राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ

विभाग संख्या-सेवा- 10 / 03, पद का नाम-कार्यपालक अधिकारी, रिक्तियों की संख्या- 02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण 02 अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण-कोई नहीं। पद का स्वरूप- समूह 'ख' (राजपत्रित), वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-08, ग्रेड पे-4800 (वेतनमान (न्यूनतम) 9300- (अधिकतम) 34,800), आयु सीमा- 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है), शैक्षिक अर्हतायें:- अनिवार्य अर्हतायें : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि (अधिमानत: अंग्रेजी या मनोविज्ञान में)। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसे कमाण्ड प्राप्त सेवा का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो। अधिमानी अर्हतायें:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ०प्र० लोक सेवा आयोग (कार्यपालक अधिकारी) सेवा नियमावली, 1983

उ०प्र० आयुष (यूनानी) विभाग

पद का नाम-प्राध्यापक, रिक्तियों की संख्या-03

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:-

क्र०सं०	प्राध्यापक (स्पेशियलिस्ट)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	मोआलेजात	कुल पद-01 लम्बवत् आरक्षण-अनु० जाति-01, क्षैतिज आरक्षण-कोई नहीं।	सेवा-11 / 28
2	मुनाफेउल आजा	कुल पद-02 लम्बवत् आरक्षण-01-अनारक्षित, अनु० जाति-01, क्षैतिज आरक्षण-कोई नहीं।	सेवा-11 / 29

पद का स्वरूप- समूह-'ख', राजपत्रित। वेतनमान- लेवल-10, वेतनमान (न्यूनतम): 56100, अधिकतम (177500) आयु सीमा- 25 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।), शैक्षिक अर्हतायें:- (अ) अनिवार्य अर्हता:- 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। 3. हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी अर्हता:-1. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। 2. ऐसे अभ्यर्थी जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की केवल एल.वी., ओ.ए., ओ.एल., ए.ए.वी. उपश्रेणियां ही चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवानियमावली, 1990 (यथा संशोधित)

नोट:- उपर्युक्त समस्त विभागों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति / आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकती है।

चयन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

2. पद / पदों के लिये आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:-

(a) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1 / 3 अंक (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(b) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(c) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को ठीक से जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हवाईटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग भी न किया जाए। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

2. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2025 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या—1648/79—5—2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या—1508/15—08—2015— 3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि, 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। 3. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):— आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है, भी इस परीक्षा/चयन के लिये शासनादेश संख्या— 22/10/1976—कार्मिक—2—85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:— (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो। 4. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। 5. मूल प्रमाण—पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। 6. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। 7. अभ्यर्थी की पात्रता व अन्य के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। 8. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी। 9. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल—प्रमाण—पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण—पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा। 9.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेंण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण—पत्र। 9.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण। 9.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का—2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप—1 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र। 9.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या— 22/21/1983—का—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र अपेक्षित होगा। 9.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या— 22/16/92—टी.सी.—III/ का—2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा। 9.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग—2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का—2/19 टी.सी.—।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। <u>ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण—पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।</u> 9.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या— 453/ 79—वि—1—15—1(क) 14—2015 दिनांक 07—04—2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। 9.8 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट—1 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे। नोट:— (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0—5/2022/18/1/2008/47/का—2/2022, दिनांक—18 अप्रैल 2022 के बिन्दु—5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है— <u>दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये चिन्हित किया गया हो।</u> (2) शासनादेश संख्या—39 रिट/का—2/2019 दिनांक— 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या— 18/1/99/का—2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2006 के प्रस्तर—4 में दिये गये प्राविधान, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है” को रिट याचिका संख्या— 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकांसीत (Ultra Virus) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर—04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या—475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। 10. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो। 11. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। 12. आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि, O.T.R. तथा Application ID नम्बर का उल्लेख अवश्य करें। 13. अभ्यर्थियों को ऑन—लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा। 14. जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तार्क नहीं दिये जायेंगे।	15. कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस चयन तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम—2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् चयन में लागू रहेगा। 16. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण—पत्र फर्जी अथवा कूट रचित (Submit) किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। 17. अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के “मेल बॉक्स” से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे। Detailed Application Form: At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application. Notification Details This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/department name and post name. Personal Details from OTR This section shows information about candidate's personal details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates. Education & Experience Details It shows your educational and experience details. Declaration segment At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form. [CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE] For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website https://uppsc.up.nic.in IMPORTANT ANNOUNCEMENT NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS • All Notifications/Advertisements ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION • Candidate Registration • Fee Deposition /Reconciliation • Submit Application Form • Modify Submitted Application • Candidate Dashboard (OTR Based) CANDIDATE'S HELP DESK SECTION • Double Verification mode • View Application Status • Download Admit Card • Print Duplicate Registration Slip • Print Detailed Application Form • List of Applications Having any Objections • Know your OTR number • View Answer Key LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled. <table><tr><th colspan="2">परिशिष्ट—1</th></tr><tr><td colspan="2">उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—II)</td></tr><tr><td colspan="2">प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय— समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।</td></tr><tr><td colspan="2">श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।</td></tr><tr><td>स्थान</td><td>हस्ताक्षर.....</td></tr><tr><td>दिनांक</td><td>पूरा नाम.....</td></tr><tr><td>मुहर</td><td>पद नाम.....</td></tr><tr><td colspan="2">जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।</td></tr><tr><td colspan="2">उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—I)</td></tr><tr><td colspan="2">प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/ सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।</td></tr><tr><td colspan="2">यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।</td></tr><tr><td colspan="2">श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।</td></tr><tr><td>स्थान</td><td>हस्ताक्षर</td></tr><tr><td>दिनांक</td><td>पूरा नाम</td></tr><tr><td>मुहर</td><td>पद नाम</td></tr><tr><td colspan="2">जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।</td></tr></table>	परिशिष्ट—1		उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—II)		प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय— समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।		श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।		स्थान	हस्ताक्षर.....	दिनांक	पूरा नाम.....	मुहर	पद नाम.....	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।		उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—I)		प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/ सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।		यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।		श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।		स्थान	हस्ताक्षर	दिनांक	पूरा नाम	मुहर	पद नाम	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।	
परिशिष्ट—1																																	
उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—II)																																	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय— समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।																																	
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।																																	
स्थान	हस्ताक्षर.....																																
दिनांक	पूरा नाम.....																																
मुहर	पद नाम.....																																
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।																																	
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—I)																																	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/ सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।																																	
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।																																	
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।																																	
स्थान	हस्ताक्षर																																
दिनांक	पूरा नाम																																
मुहर	पद नाम																																
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।																																	

(प्रपत्र-I) उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य.....पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।								
(प्रपत्र-II) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लॉक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ। 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है। 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है। अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ। 4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है। I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें। स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।								
Form-II Certificate of Disability (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. _____ Date: _____ This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post office _____ District _____ State _____. whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: ● locomotor disability ● dwarfism ● blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is _____ (A) he/she has _____% (in figure)_____percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her_____ (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her_____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified). 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:- <table><tr><td>Name and Seal of Member</td><td>Name and Seal of Member</td><td>Name and Seal of the Chairperson</td></tr></table> 3. Signature and seal of the Medical Authority. <table><tr><td>(Dr.....) Member Medical Board with seal</td><td>(Dr.....) Member Medical Board with seal</td><td>(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal</td></tr></table> Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)			Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson						
(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal						

Form-III Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)										
				Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability						
Certificate No. This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/ female _____. Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____,			Date: _____							
whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:										
S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)						
1.	Locomotor disability	@								
2.	Muscular Dystrophy									
3.	Leprosy cured									
4.	Dwarfism									
5.	Cerebral Palsy									
6.	Acid attack Victim									
7.	Low Vision	#								
8.	Blindness	#								
9.	Deaf	£								
10.	Hard of Hearing	£								
11.	Speech and Language disability									
12.	Intellectual Disability									
13.	Specific Learning Disability									
14.	Autism Spectrum Disorder									
15.	Mental illness									
16.	Chronic Neurological Conditions									
17.	Multiple sclerosis									
18.	Parkinson's disease									
19.	Haemophilia									
20.	Thalassemia									
21.	Sickle Cell disease									
(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:- In figures.....percent. In words.....percent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY) @ - e.g. Left/right/both arms/legs # - e.g. Single eye £ - e.g. Left/Right/both ears 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Nature of Document</th> <th style="width: 33%;">Date of Issue</th> <th style="width: 33%;">Details of authority Issuing certificate</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate						
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate								
5. Signature and seal of the Medical Authority.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Name and Seal of Member</th> <th style="width: 33%;">Name and Seal of Member</th> <th style="width: 33%;">Name and Seal of the Chairperson</th> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson						
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson								
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)								

son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/ YY) _____
age_____ years, male/ female_____Registration No._____ permanent
resident of House No. _____ Ward/Village/ Street_____Post
Office_____District_____State_____, whose photograph is affixed above, and
am satisfied that he/she is a case of _____Disability. His/her extent of percentage
physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and
date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability
in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability Speech and Language disability Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

- (Please strike out the disabilities which is not applicable)
2. The above condition is progressive/non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
- (i) not necessary, or
- (ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY)
- @ - e.g. Left/right/both arms/legs
- # - e.g. Single eye/both eyes
- £ - e.g. Left/Right/both ears
4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ निवासी ग्राम— _____ नगर— _____ जिला— _____ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) _____ पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) _____ के आश्रित हैं।

स्थान: _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक: _____ पूरा नाम _____
पदनाम _____
मुहर _____
जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक
28 नवम्बर, 1985
प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4

प्रारूप —1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवासी _____ पूरा पता _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित _____ (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) _____ में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) _____ आयोजित राष्ट्रीय _____में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण—पत्र _____ (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम _____राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवास (पूरा नाम) _____ विश्वविद्यालय की कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय _____ (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में _____ विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद _____ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश _____ राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ में _____ स्कूल में कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की _____ (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में _____ स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा _____ द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव